NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 38/NCRES/76/23 Date : 23.1.2023

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः— नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में प्रयोशाला अधीक्षक सहित लैब कैडर को ड्रेस अलाउन्स देने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— (1) RBE 80/2009, RBE 141/2017 एवं RBE 178/2019

(2) प्रयागराज मण्डल का पत्र सं0 752 ई0 ओ0/मेडि0/यू0जी0/केमिस्ट/भाग—2 दिनांक 27.9.2021

महोदय,

अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या RBE 80/2009 के Annexure IV के कम संख्या 30 के अनुसार केमिस्ट, असिस्टेन्ट केमिस्ट, डिस्पेन्सर, लेबोरेटरी असिस्टेन्ट, रेडियोग्राफर, एक्स—रे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट को ड्रेस के रूप में डाक्टर की तरह ऐप्रेन पहनने का ड्रेस कोड वर्णित है एवं इसी पत्र के अनुसार सातवें वेतन आयोग के पूर्व लैब अधीक्षक सहित उपरोक्त सभी कैटेगिरी को ऐप्रेन एवं धुलाई भत्ता दिया जा रहा था।

सातवें वेतन आयोग के पश्चात भारतीय रेल में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 141/2017 के तहत उपरोक्त समस्त कैटेगिरी को ऐप्रेन की जगह 5000/— रूपये ड्रेस एलाउन्स दिया जा रहा है, लेकिन केमिस्ट/असिस्टेन्ट केमिस्ट/लेबोरेटरी असिस्टेन्ट/लैब सुप्रीटेन्डेन्ट को वर्ष 2017 से ही ड्रेस एलाउन्स नही दिया जा रहा है।

NCRES को यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रयागराज मण्डल द्वारा लैब कैडर को इस आधार पर वर्दी भत्ता नही दिया जा रहा है कि इस कोटि को वर्दी भत्ता आपूर्ति किये जाने के लिये कोई भी कोड एवं Description अंकित नही है, जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG) I/2017/PM 1/13 RBE 178/2019 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार लैब कैडर का चैनल आफ प्रमोशन (AVC) निम्न है—

लैब असिस्टेन्ट ग्रेड - II (GP-2000) → लैब असिस्टेन्ट ग्रेड – I (GP-2400) → लैब टेक्नीशियन → असिस्टेन्ट केमिस्ट (GP-2800) → लैब सुप्रीटेन्ड (GP-4200) → चीफ लैब सुप्रीटेन्ड (GP-4600)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि लैब कैडर ही लेबोरेटरी असिस्टेन्ट/असिस्टेन्ट केमिस्ट/केमिस्ट कैडर है, जैसा कि ड्रेस रेगुलेशन के पत्र RBE 80/2009 के Annexure -14 के Sr. 30 पर वर्णित है, एवं वे भी फार्मासिस्ट कैडर की तरह ड्रेस एलाउन्स के हकदार है।

यह भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि केमिस्ट/लैब सुप्रीटेन्डेन्ट सहित लैब कैडर सर्वाधिक संक्रमण (कोविड 19 आदि) के बीच कार्य करते है एवं ऐसे में उन्हें प्रतिदिन धुला हुआ साफ ऐप्रेन पहनने की आवश्यकता होती है। अतः इस कैडर को ड्रेस एलाउन्स न देना कहीं से भी उचित नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डलो को इस सम्बन्ध में उचित दिशा—निर्देशे जारी करने का कष्ट करें ताकि लैब कैडर को वर्ष 2017 से रूका हुआ ड्रेस एलाउन्स प्राप्त हो सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री